

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

9.02.2022

आगिलेख उपस्थापित। आप पक्ष अडुपलिया।
आप पक्ष के विचार अधिवक्ता के डाय वक्ता
गया कि आप पक्ष आता-जाना छोड़ दिये है
न ही संपर्क में है। वाद की कार्यवाही को समाप्त
करने हेतु अडुपलिया किया गया।

वाद में आप पक्ष लगातार अडुपलिया
है एवं दरबल-कब्जा को लेकर किसी के द्वारा
ये भी शान्ति भंग होने की सूचना प्राप्त नहीं है।
ऐसी स्थिति में वाद की कार्यवाही को जारी रखा
उचित प्रतीत नहीं होता है। वाद में विवादित
आवी आदेश पारित किये समाप्त किया जाता
है।

19/02
आडु कब्जा
उडु